"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर 2017—भाद्र 31, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2017

क्रमांक 1401/LV-12-106-2017/Jul. /1-8/स्था .—श्री संजय कनकने , अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, को दिनांक 05-08-2017 से 10-08-2017 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कनकने, आगामी आदेश तक अवर सचिव, खनिज साधन विभाग, के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कनकने को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कनकने अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्रमांक 1487/LV-1-800-2017/Aug./1-8/स्था .—श्री भगवान सिंह कुशवाह उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 14-08-2017 से 18-08-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुशवाह आगामी आदेश तक उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुशवाह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुशवाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्रमांक 1503/LV-6-25-2017/Aug./1-8/स्था .—श्री एस. एल. नर्रे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का दिनांक 08-08-2017 से 11-08-2017 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. नर्रे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. एल. नर्रे, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. नर्रे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 7-9/2017/32.—राज्य शासन एतदद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 14-6-2017 द्वारा दुर्ग-भिलाई विकास योजना (भाग-1) में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

दुर्ग-भिलाई विकास योजना (भाग-1) में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (एकड़ में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत् उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	जुनवानी प.ह.नं. 21	837	1.20 एकड़	आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल)

2. उक्त उपांतरण कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल प्रयोजन हेतु हैं.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद् द्वारा दुर्ग-भिलाई विकास योजना (भाग-1) में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण दुर्ग-भिलाई विकास योजना (भाग-1) का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 5-38/2015/32.—आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार जगदलपुर विकास योजना 2021 में दलपत सागर के भीतर जल भराव क्षेत्र में आरक्षित 60 फीट मार्ग त्रुटिपूर्ण प्रस्तावित है. इस त्रुटी में सुधार हेतु जगदलपुर विकास योजना 2021 में दलपत सागर के भीतर जल भराव क्षेत्र में प्रस्तावित 60 फीट मार्ग दर्शित हो गया है. इस त्रुटी में सुधार हेतु जगदलपुर विकास योजना 2021 के जगदलपुर शहर नजूल शीट क्रमांक 3 प्लाट नं. 15/1, 15/2 रकबा 0.29, हेक्टेयर, शीट क्रमांक 4 प्लांट क्रमांक 8/1 रकबा 0.37 हेक्टेयर, शीट क्रमांक 5 प्लाट क्रमांक 1/1 रकबा 0.48 हेक्टेयर, शीट क्रमांक 6 प्लांट क्रमांक 1/1, 1/2, रकबा 0.25 हेक्टेयर, शीट क्रमांक 11 प्लांट क्रमांक 1/1, 1/2 रकबा 0.67 हेक्टेयर शीट क्रमांक 19 प्लांट क्रमांक 1 रकबा 0.55 हेक्टेयर, शीट क्रमांक 18 प्लांट क्रमांक 1 रकबा 0.15 हेक्टेयर, शीट क्रमांक 31 प्लांट क्रमांक 1/1, 1/3, 1/4 रकबा 0.75 हेक्टेयर, शीट क्रमांक 45 प्लांट क्रमांक 1/2 रकबा 0.27 हेक्टेयेर, प्लांट क्रमांक 1/2 रकबा 0.03 हेक्टेयर, प्लांट क्रमांक 1/2 रकबा 0.13 हेक्टेयर, जगदलपुर देहात खसरा क्रमांक 88 रकबा 0.1 हेक्टेयर, शीट क्रमांक 45 एवं 60 प्लांट क्रमांक 1/2, 2/1, 27, 28, 32, 24, 55, 56 रकबा 0.04 हेक्टेयर, जगदलपुर देहात खसरा क्रमांक 89 रकबा 0.13 हेक्टेयर, शीट क्रमांक 60 प्लांट क्रमांक 58 रकबा 0.01 हेक्टेयर, जगदलपुर देहात खसरा क्रमांक 89 रकबा 0.02 हेक्टेयर, एवं शीट क्रमांक 60 प्लांट क्रमांक 67 रकबा 0.01 हेक्टेयर, में सुधार किया जाना आवश्यक है.

अत: राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 35 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत यह समाधान होने के पश्चात, कि जगदलपुर विकास योजना 2021 मे दलपत सागर के भीतर जल भराव क्षेत्र में प्रस्तावित 60 फीट मार्ग दर्शित हो गया है. इस त्रुटी में सुधार हेतु जगदलपुर विकास योजना 2021 के जगदलपुर शहर नजूल शीट क्रमांक 3 प्लाट नं. 15/1, 15/2 रकबा 0.29 हेक्टेयर, शीट क्रमांक 4 प्लांट क्रमांक 8/1 रकबा 0.37 हेक्टेयर, शीट क्रमांक 5 प्लांट क्रमांक 1/1 रकबा 0.48 हेक्टेयर, शीट क्रमांक 6 प्लांट क्रमांक 1/1, 1/2 रकबा 0.25 हेक्टेयर, शीट क्रमांक 11 प्लांट क्रमांक 1/1, 1/2 रकबा 0.67 हेक्टेयर, शीट क्रमांक 19 प्लांट क्रमांक 1 रकबा 0.55 हेक्टेयर, शीट क्रमांक 18 प्लांट क्रमांक 1 रकबा 0.15, शीट क्रमांक 31 प्लांट क्रमांक 1/1, 1/3, 1/4 रकबा 0.75 हेक्टेयर, शीट क्रमांक 45 प्लांट क्रमांक 1/2 रकबा 0.27 हेक्टेयर, प्लांट क्रमांक 1/2 रकबा 0.03 हेक्टेयर, प्लांट क्रमांक 1/2 रकबा 0.13 हेक्टेयर, जगदलपुर देहात खसरा क्रमांक 88 रकबा 0.1 हेक्टेयर, शीट क्रमांक 45 एवं 60 प्लांट क्रमांक 1/2, 2/1, 27, 28, 32, 24, 55, 56 रकबा 0.04 हेक्टेयर, जगदलपुर देहात खसरा क्रमांक 89 रकबा 0.13 हेक्टेयर, शीट क्रमांक 60 प्लांट क्रमांक 58 रकबा 0.01 हेक्टेयर, जगदलपुर देहात खसरा क्रमांक 89 रकबा 0.02 हेक्टेयर, एवं शीट क्रमांक 60 प्लांट क्रमांक 67 रकबा 0.01 हेक्टेयर, भूमि जगदलपुर विकास योजना 2021 में दलपत सागर के भीतर जल भराव क्षेत्र में प्रस्तावित 60 फीट मार्ग की आवश्यकता नही रह गई है अत: प्रश्नाधीन भूमि को जगदलपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित 60 फीट मार्ग से निकाल दिए जाने की मंजूरी देता है.

इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रश्नाधीन भूमि जगदलपुर विकास योजना 2021 में दर्शित आरक्षण से निर्मुक्त हुई समझी जावेगी, और वह पार्श्वस्थ भूमि के मामले में सुसंगत योजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय विकास के प्रयोजन के लिए स्वामी को उपलब्ध हो जावेगी.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 7-06/2011/32 (पार्ट-2).—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला महासमुन्द के भंवरपुर निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1084 लागू करता है.

नया रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2017

शुद्धि पत्र

क्रमांक एफ 7-27/2015/32.—इस विभाग की रायपुर विकास योजना में उपांतरण संबंधी अधिसूचना क्रमांक एफ 7-17/2015/32 दिनांक 08-3-2017 जो छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 09-6-2017 में प्रकाशित हुई है, में जहां-जहां अंक "2031" अंकित है, वहां "2021" पढ़ा जावे.

नया रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 7-06/2011/32 (पार्ट-2).—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला उत्तर बस्तर कांकेर के बड़े कापसी निवेश क्षेत्र की सीमाओं में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 7-7/2001/10-2.—छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 के नियम 3 एवं नियम 6 के उप-नियम (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Ease of Doing Business Policy, 2017 के परिपालन में, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, यह आदेशित करती है कि वनोपज के परिवहन हेतु ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किये जायेंगे. इस प्रक्रिया के अधीन जारी ऑनलाईन अभिवहन पास, सभी प्रयोजनों के लिए वैध एवं प्रमाणित समझी जायेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 7-7/2001/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2001/10-2, दिनांक 28-08-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur, dated 28th August 2017

F. No. 7-7/2001/10-2.—In exercise of the Powers conferred by Rule 3 and sub-rule (1) and (2) of rule 6 of the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001 and in compliance of Ease of Doing Business Policy, 2017 issued by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, the State Government, hereby, orders that the online application shall be accepted for Transit of Forest produce. The online Transit pass issued under this process shall be deemed to be legal and certified for all purpose.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SHUKLA, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 1-12/2017/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अनिल कुमार साहू, भा.व.से. (1990) मुख्य वन संरक्षक एवं सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान (भारतीय वन सेवा, वेतन नियम, 2016 के अनुसूचि-III के वेतन मेट्रिक्स के लेबल 15 रु. 1,82,200-रु. 2,24,100) में पदोन्नति प्रदान करता है.

नया रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 1-12/2017/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा वन संरक्षक स्तर के निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान करता है :—

1. श्री अमरनाथ प्रसाद (1998)
2. श्री के.के. बिसेन (1998)
4. श्री सी. एस. तिवारी (1998)

उपरोक्त अधिकारियों को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2016 के अनुसूचि-III के वेतन मेट्रिक्स के लेबल 14 (रु. 1,44,200-रु. 2,18,200) में नियमानुसार देय वेतन की पात्रता होगी.

नया रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 1-12/2017/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा उप वन संरक्षक स्तर के निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान करता है :—

1. श्री अमरनाथ प्रसाद (1998)
2. श्री सी. एस. तिवारी (1998)
4. श्री जनकराम नायक (2002)

उपरोक्त अधिकारियों को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2016 के अनुसूचि-III के वेतन मेट्रिक्स के लेबल 13A (रु. 1,31,100 रु. 2,16,600) में नियमानुसार देय वेतन की पात्रता होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2017

क्रमांक एफ 20-10/2007/11/(6).—सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा-20 सहपठित धारा-21 एवं छत्तीसगढ़ सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम, 2017 के नियम-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नानुसार सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन करती है :—

1.	आयुक्त/संचालक उद्योग उद्योग संचालनालय, रायपुर.	-	अध्यक्ष
2.	उप महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय, रायपुर.	-	सदस्य

3. श्री सत्यनारायण अग्रवाल - सदस्य
प्रदेश अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, रायपुर.

4. श्री अनिल शिवदासानी, - सदस्य
प्रबंध संचालक सह कार्यपालन अधिकारी,
मेसर्स मां महामाया स्टील प्रा.लि. बिलासपुर.

5. श्री विजय देशमुख, - सदस्य
अधिवक्ता, शिवानंद नगर, सेक्टर-2,
खमतराई, रायपुर.

2. सरल क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 के नामांकित सदस्यों का कार्यकाल उनके नामांकित होने के दिनांक से 02 वर्ष का होगा.

3. कोई भी सदस्य काउंसिल के अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग कर सकेगा और तदुपरांत वह काउंसिल का सदस्य नहीं रहेगा.

4. काउंसिल के सदस्यों में होने वाली आकस्मिक रिक्तियां, संबंधित विभाग द्वारा नामांकन के द्वारा भरी जायेगी.

5. सरल क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 के नामांकित सदस्यों को ऐसे यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और बैठक फीस संदत्त की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर काउंसिल की बैठकों में उपस्थित होने के लिए अवधारित की जाये.

6. काउंसिल की बैठक एक माह में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा जैसा निश्चित किया जाये, उस समय व स्थान पर होगी.

7. काउंसिल की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनके स्वयं के बीच से निर्वाचित कोई सदस्य काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेगा.

8. काउंसिल की बैठक की गणपूर्ति काउंसिल के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से होगी. यदि किसी समय, गणपूर्ति न हो सकने की स्थिति में काउंसिल का अध्यक्ष बैठक के लिए कोई नई सूचना जारी करेगा.

9. काउंसिल की बैठकों में समस्त प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या से निश्चित किये जायेंगे तथा मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा.

10. काउंसिल उक्त अधिनियम में उल्लेखित नियमों के अनुरूप कार्य करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष कुमार भट्ट, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 अगस्त 2017

क्रमांक F 20-97/2015/11-6.—राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में गुणवत्ता को बनाये रखते हुए बेहतर कार्य करने, निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को औद्योगिक विकास की प्रमुख धारा में लाने, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने व इन वर्गों के उद्यमियों को राज्य के समग्र औद्योगिक विकास में उनके योगदान को महत्ता प्रदान करने "छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना 2014," दिनांक 01 नवम्बर 2014, से लागू की है.

1. **नाम :—**

(1) इस योजना का नाम "छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना 2014" है.

(2) योजना का क्रियान्वित करने वाले नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 01 नवंबर 2014 से प्रभावशील माने जायेंगे.

2. **परिभाषा :—** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग, निर्यातक उद्योग व महिला उद्यमी की वही परिभाषाएं होंगी जो औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-एक में दी गई है.

3. **पुरस्कार का विवरण :—** इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर निम्नानुसार क्षेत्रों में पुरस्कार दिये जावेंगे :—

3.1 **राज्य स्तर पर :—**

क्र.	निवेश के आकार एवं निवेशक के वर्ग के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण	क्षेत्र
1.	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	समग्र मूल्यांकन
2.	सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	निर्यात संवर्धन
3.	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग.	समग्र मूल्यांकन
4.	महिला उद्यमी	महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन-महिला रोजगार, पारिवारिक पृष्ठभूमि.

अ. **राज्य स्तरीय समिति :—**

(1)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	अध्यक्ष
(2)	भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर के आंचलिक कार्यालय के प्रमुख	सदस्य
(3)	प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर	सदस्य
(4)	निदेशक, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संस्थान, रायपुर	सदस्य
(5)	डॉयरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के राज्य प्रमुख	सदस्य
(6)	अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
(7)	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि.	सदस्य
(8)	संचालक, औद्योगिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा	सदस्य
(9)	सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	सदस्य
(10)	आयुक्त, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से संबंधित हो.	सदस्य
(11)	उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, रायपुर	सदस्य सचिव

ब- **जिला स्तरीय समिति :—**

(1)	कलेक्टर	अध्यक्ष
(2)	उद्योग संचालनालय के प्रतिनिधि जो संयुक्त संचालक स्तर से कम न हो	उपाध्यक्ष
(3)	मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति पर), सी.एस.आई.डी.सी.	सदस्य
(4)	उप निदेशक/सहायक निदेशक, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संस्थान, रायपुर.	सदस्य
(5)	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	सदस्य
(6)	क्षेत्रीय पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	सदस्य
(7)	वाणिज्यिक कर अधिकारी अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से संबंधित हो.	सदस्य
(8)	लीड बैंक अधिकारी	सदस्य

(9)	अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती अथवा उनके द्वारा जिले में नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ अथवा उनके द्वारा जिले में नामांकित प्रतिनिधि.	सदस्य
(11)	मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/संबंधित जिले के कलेक्टर को क्रमश: राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय पुरस्कारों हेतु यह अधिकार होगा कि किन्ही 02 व्यक्तियों, जो वित्त, औद्योगिक प्रबंधन व अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हो, को सदस्य के रूप में मनोनीत करें. उक्त दोनों समितियों का कोरम 50 प्रतिशत का होगा.

4. **पात्रता :—**

4.1 किसी एक वित्तीय वर्ष में औद्योगिक पुरस्कार प्राप्त उद्योग को आगामी वर्षों में औद्योगिक पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

4.2 उद्योगों को निरंतर न्यूनतम 02 वर्ष तक उत्पादन में रहना अनिवार्य होगा.

4.3 किसी भी उद्योग को केवल एक ही पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता होगी.

4.4 राज्य शासन की किसी भी औद्योगिक नीति (औद्योगिक नीति 2001-06, 2004-09, 2009-14 एवं 2014-19) में संतृप्त/अपात्र श्रेणी के उद्योगों को पुरस्कारों की पात्रता नहीं होगी.

4.5 जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार प्राप्त राज्य स्तर के प्रतिस्पर्धा में भी भाग ले सकेंगे एवं राज्य स्तर के प्रतिस्पर्धी संबंधित जिले के जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकेंगे.

4.6 राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु कोई भी उद्योग अधिकतम 2 पुरस्कारों में जिसमें यह पात्रता रखता हो, आवेदन कर सकेगा.

4.7 पुरस्कार हेतु पात्र उद्योग के पास वैध ई.एम. पार्ट-2 या उद्योग आधार कार्ड अथवा राज्य शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार वैकल्पिक अभिलेख एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड/सिन नबंर का होना आवश्यक है.

4.8 उद्यमी ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना की किसी भी योजना में डिफाल्टर न हो एवं राज्य शासन के किसी भी नियम का उल्लंघन न किया हो.

4.9 अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग एवं महिला उद्यमियों को दिये जाने वाले पुरस्कारों हेतु संबंधित वर्ग के उद्यमी ही आवेदन दे सकेंगे.

4.10 यदि प्रश्नाधीन अवधि में आवेदक उद्योग को किसी विभाग द्वारा कोई दंड दिया गया है, तो वह आगामी नियत अवधि तक पुरस्कार योजना में पात्रता नहीं रखेगा.

4.11 आवेदक उद्योग का शासन के किसी विभाग से न्यायालयीन प्रकरण है तो अपात्रता की श्रेणी में होगा.

5. **पुरस्कार का चयन :—** राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय औद्योगिक पुरस्कारों के चयन हेतु निम्नानुसार 02 समितियां होगी :—

अ- **राज्य स्तरीय समिति :—**

(1)	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	अध्यक्ष
(2)	भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर के आंचलिक कार्यालय के प्रमुख	सदस्य
(3)	प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. रायपुर	सदस्य
(4)	निदेशक, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संस्थान, रायपुर	सदस्य
(5)	डॉयरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के राज्य प्रमुख	सदस्य

6. **सम्मान का स्वरूप :—**

6.1 इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु शासन द्वारा प्रतिवर्ष प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जावेगा जिसमें प्रथम पुरस्कार की राशि रु.1,00,000/– द्वितीय पुरस्कार की राशि रु. 51,000/– एवं तृतीय पुरस्कार की राशि रु.31,000/– होगी. पुरस्कारों के साथ इकाईयों को प्रशस्ति–पत्र भी दिया जायेगा व पुरस्कार एक गरिमामय कार्यक्रम में दिये जावेंगे.

6.2 जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार हेतु रु. 25,000/– का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा.

7. **चयन के मापदण्ड :—**

1. वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन का अनुपात
2. उच्च प्रौद्योगिकी प्रयोग
3. गुणवत्ता नियंत्रण
4. निर्यात और आयात स्थानापन्न
5. कर्मचारी कल्याण
6. स्थानीय/भू–अर्जन से प्रभावित परिवारों को रोजगार
7. पर्यावरण संरक्षण
8. राज्य के मूल निवासियों को रोजगार संबंधी नियमों का पालन
9. प्लांट में सुरक्षा हेतु किये गये उपाय
10. उपभोक्ता संरक्षण हेतु किये गये उपाय
11. रिस्क फेक्टर
12. राज्य/जिले के लिये नवीन उद्योग अर्थात जो पूर्व में स्थापित न हुए हो.
13. सीएसआर से संबंधित किये गये कार्य

8. **चयन प्रक्रिया :—**

(1) राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु उद्योग संचालनालय द्वारा एवं जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा राज्य/जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर प्रतिवर्ष पुरस्कार हेतु दिनांक 31 दिसम्बर तक आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे. अपरिहार्य स्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकेगा. योजना को सफल बनाने हेतु उद्योग संघों के माध्यम से भी आवेदन पत्र संग्रहित किये जावेंगे.

(2) पुरस्कार हेतु उद्योगों द्वारा संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन आवश्यक सहपत्रों सहित दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा, राज्य स्तरीय पुरस्कारों हेतु इसकी एक प्रति आवश्यक जांच पश्चात् जिला व्यापार एवं एद्योग केन्द्र द्वारा अभिमत सहित उद्योग संचालनालय को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखने हेतु प्रेषित की जावेगी. उद्योग संचालनालय द्वारा निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन–पत्र राज्य स्तरीय समिति के समक्ष पुरस्कार हेतु चयन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे.

जिला स्तर सर्वश्रेष्ठ उद्यमी के पुरस्कार के चयन हेतु समिति के सदस्य सचिव द्वारा जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा.

राज्य स्तरीय समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु उद्योगों का चयन करेगी एवं जिला स्तरीय समिति सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का चयन करेगी.

समितियां यदि आवश्यक समझे तो किसी आवेदक से या उसके संबंध में किसी अन्य स्रोत से अतिरिक्त जानकारी/ तथ्यों की पुष्टि प्राप्त कर सकेगी/स्थल निरीक्षण हेतु निर्देशित कर सकेगी.

समितियों पुरस्कार के क्षेत्र के अनुरूप उपरोक्त मापदण्डों में से अंक निर्धारित करेंगी एवं मूल्यांकन करेगी.

9. **पुरस्कार की घोषणा :—** राज्य स्तरीय समिति, चयनित उद्योगों का नाम, उद्योग संचालनालय के माध्यम से वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्रस्तुत करेगी. प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत पुरस्कार हेतु चयनित उद्योगों की सूची वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी की जावेगी.

जिला स्तर पर चयनित सर्वश्रेष्ठ उद्यमी की घोषणा जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा की जावेगी व सदस्य सचिव द्वारा इसकी सूचना संबंधित उद्योग को दी जायेगी. पुरस्कार हेतु चयनित उद्योगों के नाम राजपत्र में भी प्रकाशित किये जायेंगे.

10. **पुरस्कार समारोह :—** पुरस्कार हेतु एक समारोह का आयोजन किया जावेगा जिसमें चयनित उद्योग के मालिक/भागीदार/प्रतिनिधि आमंत्रित किये जावेंगे. चयनित उद्यमी के परिवारजन भी पुरस्कार समारोह में रहेंगे. मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार राशि तथा प्रशस्ति–पत्र दिया जावेगा. समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति भी पुरस्कार हेतु निर्धारित बजट हेड से होगी.

जिला स्तरीय पुरस्कार यथा संभव उद्योग दिवस में वितरित किये जावेंगे.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :—** राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधान के संबंध में प्रभारी सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी. ऐसे विषय जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रभारी सचिव को होंगे.

इस योजना के लागू होने के प्रभावी होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना 2009 समाप्त मानी जावेगी किन्तु इस योजना के अंतर्गत चयनित लंबित पुरस्कारों का वितरण किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

परिशिष्ट–अ

"छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना 2014" हेतु आवेदन का प्रारूप

अ. **राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु**

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के समग्र मूल्यांकन हेतु
2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
3. निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग
4. महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग

ब. **जिला स्तरीय पुरस्कार हेतु–सर्वश्रेष्ठ उद्यमी**

1. औद्योगिक इकाई का नाम एवं पता (स्थान विकासखण्ड, जिला). ....

2. उद्योग का संगठन— ....
(एकल स्वामित्व/साझेदारी/कंपनी/एसएलपी/अन्य) ....

3. उद्यमी का वर्ग ....

4. पेन नंबर/सिम नंबर ....

5. ई.एम. पार्ट–2/उद्योग आधार कार्ड/उत्पादन प्रमाण पत्र का क्रमांक व दिनांक/राज्य शासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक अभिलेख. ....

6. स्थायी पूंजी निवेश (रु. लाखों में) ....
   अ. भूमि ....
   ब. शेड/भवन ....
   स. प्लांट व मशीनरी ....
   द. जल आपूर्ति निवेश ....
   इ. विद्युत आपूर्ति निवेश ....
   ई. अन्य ....
   कुल ....

7. वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं 2 वर्षों में किया गया उत्पादन एवं भुगतानित वैट कर. ....

8. **प्रदत्त रोजगार—**

क्र.	वर्ग	राज्य के बाहर के व्यक्ति	राज्य के स्थानीय व्यक्ति	योग	नियोजन में स्थानीय व्यक्तियों का प्रतिशत
1.	अकुशल				
2.	कुशल				
3.	प्रबंधकीय				
	योग				

9. **मापदण्ड :—**

1.	उच्च प्रौद्योगिकी प्रयोग	....
2.	गुणवत्ता नियंत्रण	....
3.	निर्यात और आयात स्थानापन्न	....
4.	कर्मचारी कल्याण	....
5.	स्थानीय/भू-अर्जन से प्रभावित परिवारों को रोजगार	....
6.	पर्यावरण संरक्षण	....
7.	राज्य के मूल निवासियों को रोजगार संबंधी नियमों का पालन.	....
8.	प्लांट में सुरक्षा हेतु किये गये उपाय	....
9.	उपभोक्ता संरक्षण हेतु किये गये उपाय	....
10.	रिस्क फेक्टर	....
11.	राज्य/जिले के लिये नवीन उद्योग (अर्थात जो पूर्व में स्थापित न हुए हो.)	....
12.	सीएसआर से संबंधित किये गये कार्य	....

10. विगत 2 वर्षों में किया गया निर्यात ....

11. अ. पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित संयंत्र/प्रयोगशाला एवं प्रयोगशाला के उपकरणों में किया गया निवेश ....
    ब. वृक्षारोपण ....
    स. पर्यावरण संरक्षण हेतु किये गये अन्य उपाय ....

12. औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु फैक्ट्री परिसर में की गई व्यवस्था. ....

13. कर्मचारी/श्रमिक कल्याण व उपभोक्ता संरक्षण हेतु की गई व्यवस्था. ....

14. पूर्व में प्राप्त पुरस्कारों का विवरण ....

15. प्राप्त औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का संक्षिप्त विवरण ....

टीप :— उक्तानुसार आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की जावे.

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ–पत्र

यह शपथपूर्वक कथन किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी पूर्ण रूप से सही है व किन्हीं भी तथ्यों को नहीं छुपाया गया है. शपथपूर्वक कथन किया जाता है कि मैंने औद्योगिक पुरस्कार योजना–2014 से संबंधित नियमों का अध्ययन कर लिया गया है. यदि प्रदत्त जानकारी एवं तथ्य त्रुटिपूर्ण/गलत पाये जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी व सक्षम समिति द्वारा लिया गया निर्णय औद्योगिक इकाई पर बंधनकारी होगा.

आवेदक के हस्ताक्षर

औद्योगिक इकाई का नाम

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

प्रशस्ति पत्र

औद्योगिक इकाई मेसर्स ....को "छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना 2014" के अंतर्गत राज्य स्तर पर वर्ष ....हेतु ....श्रेणी में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान एवं पुरस्कार के रूप में राशि रु. ....एवं यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है.

स्थान –

दिनांक –

मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

प्रशस्ति पत्र

औद्योगिक इकाई मेसर्स ....को "छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना 2014" के अंतर्गत वर्ष ....हेतु ....जिले के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार एवं पुरस्कार के रूप में राशि रु. 25,000/– एवं यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है.

स्थान –

दिनांक –

कलेक्टर
जिला ....

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
....

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 1720/एफ 12/03/2017/13/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य की सौर ऊर्जा नीति, 2017-2027 दिनांक 01 अप्रेल 2017 से संलग्न परिशिष्ट अनुसार लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. रत्नम्, विशेष सचिव.

परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017-2027

प्रस्तावना :—

पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति बढ़ रही वैश्विक जागरूकता के परिदृष्य में कोयला आधारित ऊर्जा के पारंपरिक स्त्रोतों पर राज्य की निर्भरता को कम करने और अपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग आवश्यक हो गया है. अपरांपरागत ऊर्जा स्त्रोत में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण स्थान रखता है. ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण में सामानजस्य रखते हुए भविष्य में जीवाश्म आधारित ईंधन (Fossil Fuel) के आयात पर निर्भरता को सुनियोजित तरीके से समाप्त करने तथा बिजली की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए निर्णायक रणनीतियों (Crucial Strategy) के तहत में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्त्रोतों के उपयोग बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है.

सौर ऊर्जा जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्त्रोत है, का वर्तमान में उपलब्ध क्षमता के अनुरूप उपयोग नहीं हो पा रहा है. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रलाय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की घोषणा करते हुए भारत में प्रत्येक वर्ष के औसतन 300 धूप वाले दिनों में प्रतिदिन 5.5 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर की औसत दर से सौर विकिरण का उपयोग देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पहल की गई है. उक्त योजना के प्रारंभिक परिणामों के आधार पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में देश में सोलर पार्क विकसित कर अल्ट्रामेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट योजना के तहत 20 हजार मेगावाट क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई. वर्ष 2017 में उक्त योजना के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट के लक्ष्य को 20 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 40 हजार मेगावाट किया गया.

राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय की उक्त योजना को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है जो भारत सरकार की सोलर पार्क विकसित कर अल्ट्रामेगा पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु भारत सरकार की अधिकृत एजेंसी यथा सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के सहयोग से राज्य में उपलब्ध सौर विकरण के अधिक से अधिक उपयोग के लिए प्रयासरत है.

प्रकृति में सहजता से उपलब्ध सौर प्रकाश को दोहन कर सौर विकिरण आधारित सौर विद्युत क्षमता के विकास तथा पर्यावरण पर बदलाव के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु बड़ी संख्या में अल्ट्रामेगा सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहित करना एक प्रभावी पहल है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करने में सहायता मिलेगी.

छत्तीसगढ़ में सौर विकिरण की उच्च तीव्रता उपलब्ध होने से बड़े पैमाने पर सौर-ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भारत के प्रमुख सौर विद्युत उत्पादन केन्द्र के रूप में राज्य को विकसित करने की असीमित संभावनाएं है. सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु असीमित संभावनाएं तथा राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण सौर उपस्कर उत्पादन का भविष्य भी बहुत उज्जवल है और इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि की भी संभावनाएं है. तदानुसार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित संयंत्रों के निर्माण इकाईयों की स्थापना के लिए अनुकूल एवं लाभप्रद स्थितियां विद्यमान है.

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन हेतु वर्ष 2002 में जारी नीति की वैधता 31 मार्च 2017 तक थी. विगत कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव, लागत व्यय में कमी तथा बिजली के क्षेत्र में अपरंपरागत स्त्रोत आधारित बिजली के क्रय की अनिवार्यता हेतु विनियमों में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में आगामी 10 वर्षों में इस क्षेत्र में निवेश की बहुत अधिक संभावनाएं है अत: राज्य में आगामी 5 से 10 वर्षों में सौर विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में भी नई नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है.

छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) ने राज्य में मजबूत विद्युत पारेषण प्रणाली विकसित की गई है जिसके अंतर्गत 400 के.व्ही., 220 के.व्ही. तथा 132 के.व्ही. की विद्युत लाइनें राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध है. राज्य में विद्युत पारेषण की भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए पारेषण प्रणाली में पर्याप्त क्षमता उन्नयन हेतु अधोसंरचना के कार्य प्रस्तावित हैं, जिससे दूरस्थ अंचलों में सौर पॉवर प्लांट की स्थापना कर उत्पादित बिजली का पारेषण सहजता से किया जा सकेगा.

राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत प्रदेश में अल्ट्रासोलर पॉवर प्लांट विकसित कर राज्य में सौर ऊर्जा की उपलब्ध क्षमता को आवश्यकता के अनुरूप विकसित करने के लिए राज्य सरकार एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति 2017-2027" जारी करती है.

1. **उद्देश्य :—** राज्य सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ "छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति 2017-2027" लागू करती है :—

(अ) विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के प्रयोजन एवं पर्यावरणीय और आर्थिक एवं दूरगामी योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करना.

(ब) सौर विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना.

(स) राज्य में सौर उत्पादन क्षमताओं के विकास हेतु अनुकूल वातावरण निर्मित करना.

(द) कोयले जैसे पारंपरिक तापीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को क्रमश: कम करते हुए राज्य की दीर्घकालीन ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करना.

(इ) प्रदेश के दूरस्थ व पहुंच विहीन क्षेत्रों में निवासरत् ग्रामीणों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय (Stand Alone) आधार पर ग्रिड से पृथक सौर अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना.

(प) सर्व प्रयोजन हेतु स्वच्छ ऊर्जा (clean energy) की पहुंच सुनिश्चित करना.

(फ) राज्य में विकेन्द्रीकृत उत्पादन और वितरण को प्रोत्साहित करना.

(क) सौर ऊर्जा उत्पादन, निर्माण और संबंधित सहायक उद्योगों में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार संभावनाओं का सृजन करना.

(ख) सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु राज्य में उपलब्ध पड़त/गैर कृषि अनुपयोगी भूमि का प्रभावी उपयोग करना.

(ग) इस क्षेत्र के लिए कुशल और अर्द्ध कुशल मानव संसाधन का विकास करना.

(घ) सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन से संबंधित अभिनव परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना.

2. **प्रचल की अवधि :—** यह नीति, जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक प्रभावशील रहेगी. ऐसी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी जिनका क्रियान्वयन वर्तमान सौर ऊर्जा नीति 2012-2017 की अवधि में किया गया है को इस नीति के अंतर्गत उपलब्ध लाभ को प्राप्त करने की पात्रता होगी.

3. **परियोजना विकासकर्त्ता हेतु पात्रता :—** कोई व्यक्ति, पंजीकृत कंपनी, केन्द्रीय और राज्य विद्युत उत्पादन और वितरण कंपनियां और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के सौर विद्युत परियोजना विकासकर्त्ता (सौर फोटोवोल्टेक/सौर तापीय) और सौर विद्युत परियोजनाओं से संबंधित उपस्करों की निर्माणकर्त्ता इकाइयां और सहायक उद्योग, समय-समय पर यथासंशोधित विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसरण में सौर विद्युत परियोजनाओं, चाहे वे केप्टिव उपयोग और/अथवा विद्युत के विक्रय के उद्देश्य से हो, को स्थापित करने हेतु पात्र होंगे.

4. **सोलर पॉवर प्लांट को दी जाने वाली सुविधाएं :—**

(अ) ग्रिड से सम्बद्ध सौर विद्युत परियोजना की स्थापना स्वयं के उपयोग के लिए अथवा राज्य के बाहर सीधे किसी उपभोक्ता/संस्था/लाइसेंसी को ओपन एक्सेस के तहत बिजली बेचने के लिए की जा सकेगी. सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना के विकासकर्त्ताओं को राज्य में स्वयं के उपयोग अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर बिजली के विक्रय हेतु सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा.

(ब) ग्रिड से सम्बद्ध सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजना को अक्षय ऊर्जा (सोलर) सर्टिफिकेट (Renewable Energy Certificate-REC) प्रणाली के माध्यम से बिजली क्रय की अनुमति :—

राज्य शासन द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादनकर्त्ताओं को सौर विद्युत संयंत्र स्थापित कर उत्पादित बिजली को आरईसी (सोलर) मैकेनिजिम के अंतर्गत अन्यंत्र बेचने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा. सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों से उत्पादित बिजली का क्रय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा Renewable Purchase Obligation (अक्षय ऊर्जा क्रय प्रतिबद्धता-आरपीओ) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित रेग्युलेशन के तहत किया जा सकेगा. लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के अनुसार बिजली क्रय हेतु अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

(स) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग अथवा उपयुक्त विद्युत नियामक आयोग के अधिसूचित रेग्युलेशन के अंतर्गत राज्य के सौर ऊर्जा उत्पादनकर्त्ताओं को आरईसी (सोलर) सर्टिफिकेट विक्रय की अनुमति रहेगी.

(द) सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 10 किलोवाट या 10 किलोवाट से अधिक क्षमता के रूफटाप सोलर पॉवर प्लांट को ग्रिड कनेक्टीविटी की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.

5. **सौर पॉवर प्लांट के प्रकार :—** राज्य में स्थापित होने वाले सौर पॉवर प्लांट को नियमानुसार 04 संवर्गों में चिन्हित किया जाएगा :—

(अ) संवर्ग-I छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली के विक्रय हेतु आमंत्रित प्रतिस्पर्धा आधारित निविदा के अंतर्गत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट.

(ब) संवर्ग-II राज्य में केप्टिव उपयोग अथवा राज्य के भीतर या राज्य के बाहर उपभोक्ताओं/लाइसेन्सी को ओपन एक्सेस के तहत बिजली बेचने हेतु स्थापित होने वाले पॉवर प्लांट.

(स) संवर्ग-III राज्य में आरईसी-सोलर मैकेनिजिम (Solar Mechanism) के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट

(द) संवर्ग-IV जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट.

6. **लक्षित क्षमता :—** राज्य शासन में विभिन्न संवर्ग के सोलर पॉवर प्लांट हेतु निम्नानुसार क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना का प्रयास किया जाएगा.

(अ) संवर्ग-I छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली के विक्रय हेतु आमंत्रित प्रतिस्पर्धा आधारित निविदा के अंतर्गत सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आरपीओ के तहत बिजली के क्रय हेतु समय-समय पर अधिसूचित रेग्युलेशन के अनुरूप रहेगा.

(ब) संवर्ग-II राज्य द्वारा केप्टिव उपयोग अथवा राज्य के भीतर या राज्य के बाहर उपभोक्ताओं/लाइसेन्सी को ओपन एक्सेस के तहत बिजली बेचने हेतु एक ही स्थल पर स्थापित होने वाले पॉवर प्लांट हेतु न्यूनतम क्षमता 1 मेगावाट एवं अधिकतम क्षमता या एमएनआरई द्वारा राष्ट्रीय सोलर नीति, समय-समय पर संशोधित में उल्लेखित अधिकतम क्षमता के अनुरूप रहेगी.

(स) संवर्ग-III राज्य द्वारा आरईसी (सोलर) मैकेनिजिम के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट हेतु क्षमता की कोई सीमा नहीं रहेगी.

(द) संवर्ग-IV राज्य द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट को भी प्रोत्साहित किया जाएगा.

(ई) राज्य शासन द्वारा सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं इनसे संबंधित विनिर्माण सुविधा के लिए सौर पार्क के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा. सौर पार्क में सभी सामान्य सुविधाएं जैसे उपयुक्त भूमि, जल की उपलब्धता एवं आंतरिक पहुंच हेतु सड़क एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जायेंगी. सौर पार्क में स्थापित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्रों को ग्रिड से जोड़ने के लिए विद्युत पारेषण लाइनों की स्थपना राज्य के विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्टेट ग्रिड कोड, कनेक्टिविटी तथा ओपन एक्सेस हेतु प्रभावशील रेग्युलेशन के तहत की जा सकेगी.

राज्य में चिन्हित किये गये स्थलों पर विकसित सौर पार्क में निजी निवेशकों द्वारा स्वयं के व्यय पर अथवा निजी-सार्वजनिक भागीदारी (ppp) में लागत में हिस्सेदारी (Sharing) के आधार पर सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा.

7. **भवनों की छत पर स्थापित होने वाली सौर विद्युत परियोजनाएं :—** भवनों की छत पर सौर विद्युत उत्पादन एक महत्वपूर्ण उदीयमान क्षेत्र है और राज्य सरकार इस निमित्त भारत सरकार के सहयोग से एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ कर सकेगी. नवीन एवं नवीकरणीय स्रोत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहन इस स्कीम के अंतर्गत परियोजना विकासकर्त्ताओं को उपलब्ध कराये जायेंगे.

8. **छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन :—**

(अ) छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा समय-समय पर अधिसूचित औद्योगिक नीति के तहत अपरंपरागत स्रोत आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की पात्रता रहेगी.

(ब) **विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट :—**
प्रत्येक सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना द्वारा संयंत्र की स्वयं की खपत (ऑग्जीलरी खपत) व राज्य के भीतर की गई केप्टिव खपत पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी. विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट सौर ऊर्जा नीति के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2027 तक स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिये प्रभावशील रहेंगी.

(स) ओद्योगिक नीति में प्रावधानित प्रोत्साहन/रियायतें सौर ऊर्जा नीति की तुलना में निम्नतर होने पर सौर ऊर्जा नीति के प्रावधान लागू रहेंगे.

9. **अतिरिक्त प्रोत्साहन :—**

(अ) **तृतीय पक्ष विक्रय हेतु खुली पहुंच (Open Access) :—** यदि किसी विकासकर्त्ता को खुली पहुंच की अनुमति प्रदान की जाती है तो वह राज्य के बाहर तृतीय पक्ष को विद्युत के विक्रय हेतु राज्य विद्युत नियामक आयोग या केन्द्रीय नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर Open Access Charges (प्रयोज्य खुली छूट प्रभार) और हानियों का भुगतान ओपन एक्सेस आवेदक द्वारा विद्युत ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेन्सी जो भी लागू हो को करेगा.

(ब) **व्हीलिंग और पारेषण प्रभार :—** विक्रय हेतु व्हीलिंग और पारेषण प्रभार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार होंगे.

(स) **क्रास सब्सिडी प्रभार :—** राज्य के भीतर किसी तीसरी पार्टी को बिजली विक्रय पर क्रास सब्सिडी के चार्जेस छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अधिसूचित रेग्युलेशन के अंतर्गत देय होगा.

(द) **राज्य के सोलर प्लांट्स को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शतप्रतिशत बैंकिंग की सुविधा निम्न शर्तो के अधीन रहेगी :—**

i. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बैंकिंग के तहत जमा बिजली की यूनिटों का सत्यापन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की समक्ष प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा.

ii. बैंकिंग के तहत जमा की गई बिजली की यूनिटों की वापसी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा समय-समय पर इस हेतु अधिसूचित विनियम के अधीन प्रशासित रहेगी.

iii. प्रत्येक वर्ष के अलग-अलग माह हेतु "Peak" एवं " Off Peak"अवधि में बैंकिंग चार्जेस नीचे तालिका अनुसार लागू रहेगी :—

माह	" Off Peak"अवधि में बैंकिंग चार्जेस	"Peak"अवधि में बैंकिंग चार्जेस
जनवरी	2 प्रतिशत	10 प्रतिशत
फरवरी से जून	5 प्रतिशत	15 प्रतिशत
जुलाई से दिसम्बर	2 प्रतिशत	10 प्रतिशत

iv. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बैंकिंग के तहत जमा की गई बिजली की यूनिट्स में से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से वापस प्राप्त की गई बिजली की यूनिटों के समायोजन उपरांत अतिशेष बिजली की यूनिटों का क्रय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वीकृत क्रय दर पर किया जा सकेगा.

v. ऐसे औद्योगिक संस्थान जो राज्य की सोलर नीति के अंतर्गत संवर्ग-2 अथवा 3 में वर्गीकृत है को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से अनुबंधित मांग पर विद्युत क्रय कर रहा है, इनकी एनर्जी एकाउंटी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित रेग्युलेशन यथा Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Intra State availability based tariff and ceviation settlement mechanisum) Regulation, 2016 अथवा इस हेतु समय-समय पर अधिसूचित रेग्युलेशन के अधीन प्रशासित रहेगा.

vi. राज्य के नीति के अंतर्गत स्थापित सोलर पॉवर प्लांट्स को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत जारी आदेश/निर्देश एवं छ. रा. विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर जारी रेग्युलेशन की शर्तों के अधीन राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर बिजली के विक्रय की अनुमति रहेगी.

(इ) **अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (REC) :—** ऊपर कंडिका 4 (अ) व 4 (ब) के अंतर्गत स्थापित प्रत्येक परियोजना को अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (REC) लाभ प्राप्त करने की पात्रता रहेगी. ऐसे सौर विद्युत उत्पादक को स्वयं के एकमेव (Dedicatted) ग्रिड में स्वयं के उपयोग हेतु डाली गई (Inject) विद्युत पर राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत आरईसी के लाभ की पात्रता रहेगी.

(फ) **ग्रिड संयोजकता और उसमें विद्युत संयोजन की सुविधा :—** सौर विद्युत संयंत्र से उत्पादित विद्युत को ग्रिड संहिता की शर्तों के अधीन निकटतम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण/वितरण लाइसेंसी के सब स्टेशन में इंजेक्ट करने की सुविधा रहेगी. विद्युत के पारेषण हेतु सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्र के स्वीच यार्ड से ग्रिड उपकेन्द्र (सब स्टेशन) जो कि अंतर संयोजन बिन्दु (इंटर कनेक्शन पाईंट) है, तक विद्युत लाइन की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य की पारेषण कंपनी या वितरण कंपनी द्वारा परियोजना विकासकर्त्ता के व्यय पर की जायेगी. यदि परियोजना विकासकर्त्ता स्वयं के व्यय पर विद्युत पारेषण लाइन की स्थापना करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को नियमानुसार देय परिवेक्षण शुल्क का भुगतान कर, राज्य की ट्रांसमिशन/वितरण कंपनी के पर्यवेक्षण में अथवा बिना पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान करने पर स्वयं के पर्यवेक्षण में लाइन की स्थापना का विकल्प होगा. लेकिन परियोजना विकासकर्त्ता को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन/डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा उत्पादित विद्युत के पारेषण हेतु राज्य की पारेषण/वितरण प्रणाली में तकनीकी क्षमता की उपलब्धता की पुष्टि प्राप्त कर स्वयं के व्यय पर लाइन निर्माण की अनुमति रहेगी. इस हेतु राज्य की पारेषण/वितरण कंपनी द्वारा यथास्थिति विद्युत पारेषण/वितरण प्रणाली में तकनीकी क्षमता की उपलब्धता की पुष्टि, आवेदन प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस में किया जाएगा.

(ब) **ग्रिड संयोजित परियोजना के लिये भूमि :—** परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता का दायित्व परियोजना विकासकर्त्ता का होगा. परियोजना विकासकर्त्ता को शासकीय भूमि का आवंटन भूमि के उपलब्ध होने की स्थिति में प्रभावशील विधियों, राज्य के नियम, तथा प्रचलित नीतियों के अंतर्गत किया जा सकेगा. इसी प्रकार निजी भूमि का अधिग्रहण प्रभावशील विधियों, राज्य के नियम तथा प्रचलित नीतियों के अंतर्गत किया जा सकेगा. शासन द्वारा निजी भूमि अधिग्रहित कर उपलब्ध कराने की दशा में इससे संबंधित राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति लागू होगी. सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु वैधानिक स्वीकृतियों/अनुमतियों को प्राप्त करने का दायित्व परियोजना विकासकर्त्ता पर होगा.

(भ) **अक्षय ऊर्जा क्रय प्रतिबद्धता (RPO) :—** विद्युत वितरण कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक खुली निविदा से निर्धारित विद्युत दरों के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्रय प्रतिबद्धता (RPO) हेतु विद्युत का क्रय करेगी. विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सुविधा अनुसार अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (REC) प्रणाली के तहत उपयुक्त आयोग द्वारा समय-समय पर स्वीकृत विद्युत की संयुक्त (पूल्ड) लागत दरों पर ऐसा क्रय किया जा सकेगा.

10. **परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समय सीमा :—** विकासकर्त्ता को आवंटित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से 24 माह की अवधि में पूर्ण करना अपेक्षित है.

11. **जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध :—** सौर विद्युत संयत्र में किसी भी तरह के जीवाश्म आधारित ईंधन कोयला, गैस, लिगनाईट, नेपथा, लकड़ी आदि का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा. यदि सोलर थर्मल संयंत्र किसी इकाई के परिसर में स्थापित होता है तो इसे पूर्व से स्थापित जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत संयंत्र से भौतिक रूप से पृथक परिसर में रखना होगा.

12. **नोडल एजेन्सी (संपर्क अभिकरण) की भूमिका :—** नोडल एजेन्सी (संपर्क अभिकरण), परियोजना विकासकर्त्ताओं को सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध करायेगा और इस नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित गतिविधियां संचालित करेगा :—

(क) राज्य में सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु निविदाओं के आमंत्रण की प्रक्रिया से संबंधित सभी कार्य जिसमें शासन के विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध भूमि के चिन्हांकन तथा चिन्हित भूमि के आवंटन में सहायता करना तथा राज्य स्तर पर आवश्यक अनुमति/स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु नोडल एजेन्सी (संपर्क अभिकरण) के रूप में कार्य करना.

(ख) स्थल का चिन्हांकन एवं भूमि बैंक का गठन.

(ग) राज्य शासन अथवा उसकी एजेंसियों के पास उपलब्ध भूमि/स्थान के आवंटन में सहायता.

(घ) मार्ग अधिकार (राईट आफ वे), जल आपूर्ति एवं सड़क तक पहुंच आदि में सहायता.

(ङ) प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से समुचित मानव संसाधन का विकास.

13. **एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली :—**

(अ) निम्नलिखित गतिविधियों के लिए एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली के तौर पर सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिये छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) संपर्क अभिकरण के रूप में कार्य करेगा.

(ब) यह सुनिश्चित करना कि इस नीति के अनुरूप संबंधित विभागों द्वारा समस्त सुसंगत शासकीय आदेश समय रहते जारी हो जाये.

(स) राज्य सरकार और उसके अभिकरणों से वांछित समस्त अनापत्तियां, अनुमतियां, अनुमोदन और सहमतियां जारी करना.

(द) यह सुनिश्चित करना कि राज्य की सुसंगत नीतियों के अंतर्गत औद्यागिक इकाईयों को उपलब्ध समस्त रियायतें सौर विद्युत उत्पादकों हेतु प्रयोज्य की जायें.

(इ) आने वाले सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्रों हेतु निष्क्रमण (इवेक्युवेशन) अधोसरंचना के विकास को समय रहते सुनिश्चित करना.

(प) ग्रिड की अंत: क्रियाशील प्रणालियों के संधारण को बढ़ावा देना जिससे संयंत्र क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जा सके.

(फ) राज्य सरकार और इसके अभिकरणों द्वारा भूमि के आवंटन को सुगम बनाना.

(भ) लंबित अनापत्तियों की समीक्षा समय-समय पर सशक्त समिति द्वारा की जायेगी.

14. **सशक्त समिति :—** इस नीति के परिणामस्वरूप उद्भूत होने वाले विभिन्न मुद्दों पर नजर रखने, निगरानी करने और उनका समाधान करने हेतु राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति गठित की जायेगी. समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार है :—

1. वित्त विभा ग के भारसाधक सचिव.

2. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के भारसाधक सचिव.

3. राजस्व विभाग के भारसाधक सचिव.

4. ऊर्जा विभाग के भारसाधक सचिव.

5. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड.

6. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड.

7. प्रबंध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड.

8. सी.ई.ओ. छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)-सदस्य सचिव.

सशक्त समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी. समिति निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श करेगी और निर्णय लेगी :—

1. एकल खिड़की प्रणाली की निगरानी (मॉनिटरिंग).

2. समय-समय पर उत्पन्न हो सकने वाले अंतर्विभागीय मुददों का समाधान.

3. सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन में कठिनाईयों को दूर करना.

4. अन्य कोई सुसंगत विषय.

15. **सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करना :—** राज्य की सौर ऊर्जा नीति, 2017-27 के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के समाधान अथवा राष्ट्रीय टैरिफ नीति, राष्ट्रीय सोलर मिशन के प्रावधानों को लागू करने के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश पृथक से जारी कर सकेगा, जो राज्य की नीति का भाग होगा.

16. **सौर ऊर्जा नीति के प्रचलन की अवधि :—** राज्य की सौर ऊर्जा नीति, 01 अप्रैल, 2017 से 10 वर्ष तक अथवा नई सौर ऊर्जा नीति के जारी होने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगी.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, केपिटल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्रमांक 3042/एफ-1-64/31/एस-2/निर्वाचन/2013.— छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 2006 का नियम 37 का उप नियम (1) का खण्ड (एक) (संशोधन दिनांक 24 नवम्बर 2011) अनुसार राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम 5 में दर्शित उप अभियंताओं (सक्षम प्राधिकारी) के पूर्व में छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22-01-2015 द्वारा जारी अधिसूचना के पृष्ठ क्रमांक 140 (12) में उल्लेखित प्रभार में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

छ.ग. राजपत्र का स.क्र.	स.क्र.	सिंचाई प्रणाली का नाम (परियोजना, जलाशय व्यपवर्तन, तालाब)	कोड क्रमांक	नाम	सक्षम अधिकारी/पदेन सचिव (उप अभियंता)		
					पूर्व में आदेशित	वर्तमान में आदेशित	जल संसाधन उप संभाग का नाम (के अधीन पदस्थ)
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5 क)	(5 ख)	(6)
06 जिला रायगढ़	1	हसदेव बांगो परियोजना	0631006	डुमरभांठा	श्री एस. के. सिदार	श्री वाई एल. देवांगन	हसदेव दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 4, सक्ती.
119	2	हसदेव बांगो परियोजना	0531119	अड़भार	श्री एस. के. सिदार	श्री वाई. एल. देवांगन	हसदेव दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 4, सक्ती.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
120	3	हसदेव बांगो परियोजना	0531120	सकर्रा	श्री एस. के. सिदार	श्री वाई एल. देवांगन	हसदेव दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 4, सक्ती.
121	4	हसदेव बांगो परियोजना	0531121	बंदोरा	श्री एस. के. सिदार	श्री वाई. एल. देवांगन	हसदेव दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 4, सक्ती.
123	5	हसदेव बांगो परियोजना	0531123	पोता	श्री एस. के. सिदार	श्री वाई. एल. देवांगन	हसदेव दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 4, सक्ती.

आदेश में अन्य कंडिकाएं एवं शर्तें यथावत रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकण्ठ टीकाम, संयुक्त सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, केपिटल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 1-51/2017/20-1.— नि:शुक्ल एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उपबन्धों के अधीन बनाये गये नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 15 नवम्बर 2010 के नियम-6 के (4) के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य के क्रमश: नारायणपुर एवं कांकेर जिले के निम्नलिखित कॉलम नं. 4 में अंकित प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों को कॉलम नं. 3 में अंकित बसाहट के पड़ोस हेतु अधिसूचित करता है :—

क्र.	जिला	बसाहट का नाम	संबंधित प्राथमिक/ माध्यमिक शाला का नाम	बच्चों की संख्या		बसाहट से दूरी	
				प्राथ.	पूर्व माध्य.	प्राथमिक	पूर्व माध्य.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अ (1)	नारायणपुर	ब्रहबेड़ा	पूर्व मा.शा. ब्रहबेड़ा	—	102	—	5 कि.मी.
		फरसगांव	पूर्व मा.शा. फरसगांव	—	86	—	4 कि.मी.
		साकरीबेड़ा	पूर्व मा.शा. साकरीबेड़ा	—	59	—	3 कि.मी.
		तेलसी	पूर्व मा.शा. केरलापाल	—	74	—	9 कि.मी.
		गुरिया	पूर्व मा.शा. गुरिया	—	61	—	10 कि.मी.
		करलखा	पूर्व मा.शा. करलखा	—	82	—	12 कि.मी.
		बिंजली	पूर्व मा.शा. बिंजली	—	82	—	20 कि.मी.
		माहका	पूर्व मा.शा. माहका	—	80	—	7 कि.मी.
		पालकी	पूर्व मा.शा. खैराभाट	—	97	—	8 कि.मी.
		नारायणपुर	पूर्व मा.शा. नारायणपुर	—	106	—	6 कि.मी.
		गढ़बेगाल	पूर्व मा.शा. गढ़बेगाल	—	57	—	4 कि.मी.
		बाकुलवाही	पूर्व मा.शा. बाकुलवाही	—	59	—	7 कि.मी.
				कुल	**945**		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अ (2)	कांकेर	नाकापारा	प्रा.शा. नाकापारा चारामा	3	0	0.5 कि.मी.	0
		नाकापारा	प्रा.शा. भाठापारा चारामा	4	0	0.5 कि.मी.	0
		बाजारपारा	प्रा.शा. भाठापारा चारामा	2	0	0.5 कि.मी.	0
		बाजारपारा	प्रा.शा. बाजारपारा चारामा	6	0	0.5 कि.मी.	0
		बाजारपारा	प्रा.शा. कन्या चारामा	2	0	0.5 कि.मी.	0
		बाजारपारा	प्रा.शा. जनपद चारामा	5	0	0.5 कि.मी.	0
		जैसाकर्रा	प्रा.शा. आवासपारा जैसाकर्रा	10	0	0.5 कि.मी.	0
		भाठापारा	प्रा.शा. भाठापारा	10	0	0.5 कि.मी.	0
		आतुरगांव	प्रा.शा. आतुरगांव	11	0	0.5 कि.मी.	0
		सिंगारभाठ	प्रा.शा. सिंगारभाठ बडेपारा	6	0	0.5 कि.मी.	0
		सिंगारभाठ	प्रा.शा. डुमरपारा सिंगारभाठ	6	0	0.5 कि.मी.	0
		नन्दनमारा	प्रा.शा. नंदनमारा	13	0	0.5 कि.मी.	0
		जनकपुरवार्ड	प्रा.शा. जनकपुरवार्ड कांकेर	27	0	0.5 कि.मी.	0
		राईसमिलपारा	प्रा.शा. राईसमिलपारा सिंगारभाट	8	0	0.5 कि.मी.	0
		माहुरबंदपारा	प्रा.शा. माहुरबंदपारा	9	0	0.5 कि.मी.	0
		आमापारा	प्रा.शा. आमापारा	8	0	0.5 कि.मी.	0
		लटटीपारा	प्रा.शा. लटटीपारा	8	0	0.5 कि.मी.	0
		झुनियापारा	प्रा.शा. कोदाभाट	24	0	0.5 कि.मी.	0
			कुल	**162**			

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र सिंह बाघे, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर, दिनांक 16 अगस्त 2017

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बास्तानार	बड़ेकिलेपाल प.ह.नं. 07	0.83	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	ग्राम गुड़ियापारा से कोलूपारा के 3/8 कि.मी. में बंजारिन नाला सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण करने के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल/कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अगस्त 2017

क्रमांक क/भू-अर्जन/02/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बास्तानार	बड़ेकाकलूर प.ह.नं. 08	0.74	उप मुख्य अभियंता, (निर्माण) पूर्व तट रेल्वे, डी. आर. एस. काम्पलेक्स, डोन्डापरती, विशाखापटनम.	जगदलपुर से सिलक-झोड़ी तक डबल रेल लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल/उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पूर्व तट रेल्वे विशाखापटनम के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 16 अगस्त 2017

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बास्तानार	साडराबोदेनार प.ह.नं. 09	0.13	उप मुख्य अभियंता, (निर्माण) पूर्व तट रेल्वे, डी. आर. एस. काम्पलेक्स, डोन्डापरती, विशाखापटनम.	जगदलपुर से सिलक-झोड़ी तक डबल रेल लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल/उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पूर्व तट रेल्वे विशाखापटनम के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 अगस्त 2017

क्रमांक 10/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-औरदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.194 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	912/1 ख	0.028
	914	0.308
	923/1	0.028
	929/3 क, 930/5	0.120
	1280	0.212
	912/2	0.296
	915/2	0.012
	923/2	0.084
	1278	0.224
	1281/1	0.041
	913	0.020
	916/1 ख	0.020
	925/2	0.028
	1269	0.216
	1281/4	0.040
	916/1 क	0.109
	920/2, 920/3	0.204
	929/2 ख, 930/2	0.064
	1281/2	0.076
	(1)	(2)
	1282/1	0.064
योग	20	2.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत शारदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 8 अगस्त 2017

क्रमांक 11/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-तड़ोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.352 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
580	0.064
585/2	0.128
558/2	0.056
571/1	0.456
167/1 ञ	0.128
167/1 ड./2	0.012
158, 159, 160/1	0.603
589	0.020
576/3	0.077
562/2	0.292
576/4	0.028
164/2 क	0.020

(1)	(2)
167/1 ङ/3	0.052
163/1	0.032
578/3	0.088
558/1	0.096
570	0.028
573/8, 574/8, 575/8	0.052
165/2 ग	0.072
562/3	0.020
579	0.044
508	0.336
569/1	0.008
167/2 क	0.144
167/1 ट	0.144
157/1	0.352
योग 26	3.352

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत शारदा वितरक नहर एवं माइनर-1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 1 अगस्त 2017

क्रमांक/1136/नगरनार व.भू.-उप./नग्रानि/2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नगरनार निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टरों को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है. और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय ग्राम पंचायत भवन नगरनार जिला बस्तर, कार्यालय कलेक्टर जिला बस्तर एवं कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संयुक्त जिला कार्यालय भवन द्वितीय तल जगदलपुर कक्ष क्र. 31 में दिनांक 08 अगस्त 2017 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. नगरनार निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में दर्शित है :—

अनुसूची

नगरनार निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम तुरेनार, कलचा, कुम्हरावंड काकरवाड़ा, कुम्हरावंड, रामपाल, बेलपुटी, चितालूर, भालूगुड़ा, उपनपाल, नगरनार एवं भेजापदर ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम भेजापदर, धनपुंजी, चोकावाड़ा, केराझोड़ी एवं खिड़खाड़ ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम खिड़खाड़, केराझोड़ी, बागराऊर, मारकेल, कोपागुड़ा एवं कुरूंदी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम कुरूंदी, कूसूमपाल, नकटीसेमरा, बुरून्दवाड़ा, सेमरा, हल्बाकचोरा, मंगडूकचोरा, शासन कचोरा, बाबू सेमरा, धुरगुड़ा, गरावंडकला, भाटागुड़ा एवं तुरेनार ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार किये गये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समयावधि के भीतर लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जगदलपुर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जगदलपुर द्वारा विचार किया जायेगा.

निरीक्षण स्थल :— ग्राम पंचायत भवन, नगरनार.

No. 1136/Nagarnar. EXT.L./T&CP/2017.—Notice is hereby given that the existing land use map for Nagarnar Planning Area has been prepared under section 15 sub section (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from dated 08-08-2017 during office hours in the office of the Gram Panchayat Bhavan (Exibition Venue) Nagarnar, Office of the Collector, District Bastar & office of Deputy Director, Town & Country Planning, Collectorate Compound Composite Building Jagdalpur, Dist.- Bastar The limit of the Bhairamgarh Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Nagarnar Planning Area

NORTH	:	Village Turenar, Kalcha, Kumharawand, Kakarwada, Kunharawand, Rampal, Belputi, Chitalgur, Bhaluguda, Upanpal, Nagarnar and Bhejapadar to the northern limit.
EAST	:	Village Bhejapadar, Dhanpunji, Chokawada, Kairajhodi and Khidkhar upto the eastern limit.
SOUTH	:	Village Kairajhodi, Khidkhar bagraur, Markel, Kopagudha and kurandi upto the southern limt.
WEST	:	Village Kurandi, Kushmpal, Naktisemera, Burundwada semra, halbakachora, Mangdu, Kachora, Shasan Kachora, Babusemra, Dhurguda, Garawand Kala, Bhataguda and turenar the western limit.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map prepared it should be sent in writing to the Deputy Direcor, Town & Country Planning Jagdalpur within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by Inc. Deputy Director Jagdalpur.

Place of Inspection : Gram Panchayat Bhavan, Nagarnar.

डी. के. बघेल,
प्र. उप-संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 24 जून 2017

क्रमांक/3911/न.ग्रा.नि./वि.यो.-मारो/2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) की अनुसरण में मारो निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन की सूचना छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 07-10-2016 को प्रकाशित किया गया.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट मारो निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

मारो निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम लालपुर, मारो, दोहना एवं झुलना की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम झुलना एवं चक्रवाय की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम चक्रवाय, मारो एवं गुजेरा की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम गुजेरा, मारो एवं लालपुर की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल — संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग छ.ग.

No./3911/T&CP/D.P.-Maro/2016.—The existing land use map & register for the Maro planning Area was publishd under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) which has been published in C.G. Gazette on date 07-10-2016.

Therefore a notice is hereby given for the general information of the public that the Existing Land use map & Register of Maro Planning Area, Existing land use map & Register so prepared and published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning, Under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map & register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limit of Maro Planning Area

NORTH	:	Village Lalpur, Dohana, and Jhulna upto North Boundary.
EAST	:	Village Jhulna and Chakraway upto East Boundary.
SOUTH	:	Village Chakeaway, Maro and Gujera upto South Boundary.
WEST	:	Village Gujera, Maro and Lalpur upto West Boundary.

The said adopted map & Register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgrah Gazzette.

Inspection Site :— Office of the Joint Director, Town & Country Planning, Regional Office Durg C.G.

जाहिद अली,
संयुक्त संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 25 अगस्त 2017

क्रमांक 172/दो-2-7/2013.—श्री सतीश कुमार सिंह, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर वर्तमान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 06-07-2017 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, बजट धिकारी.